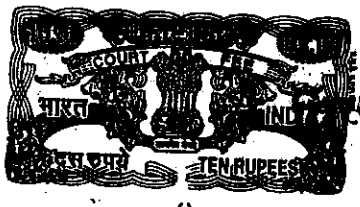

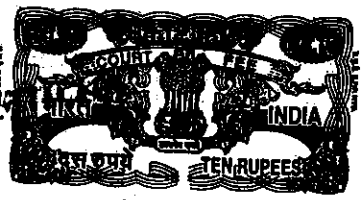

न्यायालय : श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / R-436-I/2012

श्री वीरसिंह जादौन, अभि. द्वारा आज दि. 23.2.12 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1–अजीत कुमार पुत्र सूरजभान
2–मनीता पत्नी अजीत कुमार
3–तेजकौर पत्नी सूरजभान
4–कृष्ण कुमार पुत्र कटर सिंह
5–निर्मला पत्नी कटर सिंह
समस्त जातियान जाट सिख निवासी
ग्राम ज्वाड तह. व जिला श्योपुर म.प्र

...........आवेदकगण

बनाम

मध्य–प्रदेश शासन

.........अनावेदक

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 29.12.11 न्यायालय अपर कलेक्टर श्योपुर के प्र.कं. 39/2010–11/निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता एवं आर.बी.सी. की कण्डिका 4 (3) के नियम 30 (1)

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य :–

यह कि ग्राम ज्वाड स्थित भूमि सर्वे नम्बर 282 मि. रकबा 1.986 हेक्टर बाबू पुत्र सियाराम शर्मा शासकीय पट्टा ,सर्वे नं. 282 मिन रकबा 1.045 हे. जनरेल सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति जाट सिख, सर्वे नम्बर 282/1मिन रकबा 1.463 हेक्टर सोजार सिंह पुत्र जोधासिंह राय सिख निवासी बिठ्ठपुर ,सर्वे नं. 282/2 रकबा 1.463 हे. ,चतरसिंह पुत्र जौधासिंह सर्वे नं. 282/3 रकबा 1.672हे. मंगल सिंह पुत्र जौधासिंह जाति राय सिख निवासी बिठ्लपुर के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज थी किन्तु मौके पर निगरानीकर्ता काबिज होकर खेती करते चले आ रहे थे इसकारण से उक्त लोगों ने विवादित भूमि का त्याग पत्र दिया था जिसे तहसीलदार महोदय के प्र.कं. 30/03–04/ए24 से दिनांक 20.10.04 को त्याग पत्र स्वीकार करके विवादित भूमि को शासकीय घोषित किया गया था।

2. यह कि करीबन दो वर्ष पश्चात निगरानीकर्ता द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय श्योपुर की न्यायालय में उक्त भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और जो न्यायालय की दायरा पंजी दर्ज किया गया प्रकरण कमांक 29/05–06/अ–19 पर और दिनांक 26.10.06 को विधिवत निगरानी कर्ता के हित में पट्टे जारी किये गये क्योकि निगरानीकर्ता भूमिहीन थे और उनका मौके पर कब्जा भी था तथाउसी कब्जे के आधार पर पट्टा प्रदान किया गया था तथा निगरानीकर्ता मौके पर काबिज होकर खेती करते चले आ रहे है तथा

कमंशः..........2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 430-I/12 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.11.16.	आवेदक की ओर से पुकार लगाई गई। परन्तु न तो आवेदक और न ही उनकी ओर से कोई [illegible] उपस्थित हुए। [illegible] अनुपस्थित रहे हैं। [illegible] आवेदक के [illegible] प्रकरण [illegible] अभाव में निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अभिलेख [illegible] जावे। (हस्ताक्षर) सदस्य	
(हस्ताक्षर)		

[कृ. प. उ.